

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 7(4)अकाद/प्रवेश नीति/2011-12/

दिनांक जून, 2011


समस्त प्राचार्य,  
राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय  
राजस्थान

विषय:- प्रवेश नीति 2011-12 में सम्मिलित एवं संशोधन बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रवेश नीति 2011-12 में निम्नलिखित दो संशोधन किये जाते हैं:-

1-- प्रवेश नीति 2011-12 के षष्ठ्य भाग (पेज सं० 19) आरक्षण, रियायतें एवं लाभ (बिन्दु 6.1) के मुख्यशीर्ष एवं 6.1 (ब से य) में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के अभ्यर्थी/विद्यार्थी अंकित है। उक्त सभी के अन्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग सम्मिलित किया जाना है।


2-- प्रवेश नीति 2011-12 के बिन्दु 6.2 विकलांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर एवं एम.फिल.) पृष्ठ संख्या 20 के 6.2 (स) में अंकित है स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. पर आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा के स्थान पर "विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि को इसे सामान्य सूची से भरा जा सकेगा।" को प्रतिस्थापित किया जाता है।

  
संयुक्त निदेश, अकादमी

क्रमांक एफ 7(4)अकाद/प्रवेश नीति/2011-12/ 235

दिनांक 10 जून, 2011

प्रतिलिपि ईन्चार्ज वेबवाइंट को विभागीय वेबसाईट पर तत्काल लोड करने हेतु प्रेषित है।

  
संयुक्त निदेशक, अकादमी